संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य

एस.एस. निज्जर, जे.

एस. एस. निज्जर और एस. एस. सरोन, के समक्ष

संजीव कुमार।— याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाताओं

सी. डब्ल्यू. पी. नं. 2006 का 14167

7 सितम्बर 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226—याचिकाकर्ता के पिता की एसबीआई में हेड गार्ड के रूप में काम करते समय मृत्यु हो गई—अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा—अस्वीकृत—बैंक द्वारा शुरू की गई अनुकंपा नियुक्ति की योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार को आकस्मिक स्थिति से निपटने में सक्षम बनाना है। संकट - अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य मृत कर्मचारी के स्थान पर मृतक के आश्रित को नियुक्त करना नहीं है - याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए किसी भी असाधारण कठिनाई का मामला बनाने में असफल रहा - विचार करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करना याचिकाकर्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति- याचिका खारिज।

यह अभिनिर्णित किया गया कि अनुकंपा रोजगार देने का उद्देश्य मृत कर्मचारी के स्थान पर मृतक के आश्रित को नियुक्त करना नहीं है। यह केवल तभी प्रदान किया जाता है जब परिवार अत्यंत गरीबी से पीड़ित हो और उसके पास आजीविका का कोई स्रोत न हो। उत्तरदाताओं ने एक मौखिक आदेश पारित किया है। उत्तरदाताओं ने महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) और अन्य *बनाम* कुंती तिवारी और अन्य, सिविल अपील संख्या 126 (2004) एसएलपी से उत्पन्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया है। मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके परिवार की वित्तीय स्थिति उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित की गई थी। यह मानना संभव नहीं होगा कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर बिना पारी नियुक्ति के लिए किसी असाधारण कठिनाई का मामला बनाया है।

संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य

एस.एस. निज्जर, जे.

(पैरा 11, 13 एवं 14)

एच.एस. शर्मा- याचिकाकर्ता के वकील

<u>निर्णय</u>

एस.एस. निज्जर, जे.

(१) याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा किया है। याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी नंबर 2 यानी भारतीय स्टेट बैंक ने 12 जनवरी, 2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है, जिसे याचिकाकर्ता को पत्र संख्या आर-1/स्टाफ8453, दिनांक 19 जनवरी, 2006 के माध्यम से सूचित किया गया था। उनका दावा है कि मंडेमस की प्रकृति में एक लिखित हिस्सा जारी किया जाए, जिसमें जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप पद प्रदान किया जाए ।

(२) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है ।

(३) याचिकाकर्ता के पिता को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की संस्थान में गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 यानी सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्र-1, आंचलिक कार्यालय, हरियाणा, पंचकुला, (हरियाणा) के बोर्ड में हेड गार्ड के रूप में काम करते समय 26 मार्च, 2001 को 50 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 28 जनवरी, 2002 को याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन भेजा था। उनका दावा है कि मृतक यानी उनके पिता के परिवार में उनकी विधवा, दो बेटे और एक बेटी है। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी के कारण बेटों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मृतक की विधवा को 2,858 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी । याचिकाकर्ता के अनुरोध को प्रतिवादी संख्या 2 ने

28 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया था, जो बिना किसी कारण दिया गया था । याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए सीडब्ल्यूपी संख्या 7503 (२००२) दायर की। दिनांक 5 दिसंबर, 2002 को निम्नलिखित आदेश पारित कर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी:-

याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की और ये निवेदन किया कि उसके पिता, जो बैंक में हेड गार्ड नियुक्त थे, उनकी 25 मार्च, 2002 को बैंक की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे परिवार गरीबी में चला गया। दिनांक 7 जुलाई, 2002, को आदेश पी—-2 द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। यद्यपि उपरोक्त आदेश में याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया था , लेकिन ज्वाब में यह अनुरोध किया गया था कि परिवार संकट में नहीं था क्योंकि वे पारिवारिक पेंशन और परिवार को जारी किए गए वित्तीय लाभों पर ब्याज प्राप्त कर रहे थे। परिवार को जारी किए गए मौद्रिक लाभ ज्वाब के पैराग्राफ 3 में विवरण दिया गया है। हालाँकि, ये पाया गया है कि मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में 2002 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5326 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसका शीर्षक **नवीन कुमार** बनाम **भारत संघ और अन्य था**, जो 25 अगस्त, 2003 को सुनाया गया और 2001 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12552 जिसका शीर्षक **सुखदेव सिंह** बनाम **भारत संघ और अन्य था**, का निर्णय, 9 सितंबर, 2003 को दिया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि मृतक के परिवार की आय का आकलन करते समय; पारिवारिक पेंशन को परिवार की आय में नहीं गिना जाएगा जिससे परिवार के किसी सदस्य को नियुक्ति से वंचित किया जा सके। तदनुसार, हम उपरोक्त निर्णयों का पालन करते हुए अनुबंध पी-2 को रद्द करते हैं और प्रतिवादी को आदेश देते है की तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्णयों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है ।

एस दी /-

संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य

एस.एस. निज्जर, जे.

एच. एस. बेदी, न्यायाधीश।

एस दी /-

किरण आनंद लाल,

न्यायाधीश।"

(४) प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के बजाय, एस.एल.पी क्रमांक 9088/2004 दायर कर उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी । एस.एल.पी. का निपटारा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर तीन महीने की अवधि के भीतर फिर से विचार करने के लिए, संबंधित अधिकारियों को , निर्देश देकर 21 अक्टूबर, 2005 को किया गया था जिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले **महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) और अन्य** बनाम **कुंती तिवारी और अन्य** [1] को ध्यान में रखा गया था । सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के अनुपालन करते हुए, प्रतिवादियों ने 12 जनवरी, 2006 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को फिर से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है जो अनुबंध पी -2 के रूप में संलग्न है।

(५) इससे पहले कि हम इस मामले की योग्यता पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें, हम रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा आधारित किए गए कुछ अन्य तथ्यों पर भी गौर कर सकते हैं। उनका दावा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वह अकेले कमाने वाले थे। 31 दिसंबर, 2001 से 2 जून, 2006 तक 2,858 रुपये विधवा को मासिक पेंशन दी गई । उसके बाद, उसे 1,913 रुपये, का पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृत्यु या पुनर्विवाह तक भुगतान किया जाएगा। उत्तरदाताओं ने बदले की भावना से पारिवारिक पेंशन को घटाकर

---

[1] (2004) 7 एस.सी.सी. 271

अप्रैल, 2006 से रु. 1,913 कर दिये है। यह अल्प राशि परिवार के अस्तित्व के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर, 2003 को अपने आदेश में प्रतिवादियों को नवीन कुमार और सुखदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था। उपरोक्त आदेश का पालन करने के बजाय, उत्तरदाताओं ने प्रतिशोधात्मक रूप से एस एंड एल.पी. दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में, उत्तरदाताओं ने, अदालत को गुमराह करने के लिए शरारतपूर्ण ढंग से विधवा द्वारा ली जाने वाली मासिक पारिवारिक पेंशन को 5,320 रुपये दिखाकर गलत हलफनामा दायर किया जबकि, वास्तव में, सही राशि रु 2,858 थी। यह गलती सुप्रीम कोर्ट के सामने दोहराई गई। उत्तरदाताओं को 16 मार्च, 2005 को एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी।

(६) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को विस्तार से सुना लिया है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन भी कर लिया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बार-बार इनकार करने का निर्णय उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया ग़लत है। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को सामाजिक न्याय से वंचित कर दिया है। कानून न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे कानून को "उस आधार पर लागू करें जो समाज के लिए फायदेमंद हो"। उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए कारण आक्षेपित आदेश में प्रासंगिक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परिवार की आय पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

(८) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

(९) सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2005 के आदेश में प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे **कुंती तिवारी केस (सुप्रा)** के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें। उत्तरदाताओं ने अब याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया है और कई कारणों से दावे को खारिज कर दिया

है। प्रतिवादी-बैंक ने वर्ष 1997 में अनुकंपा नियुक्ति की एक योजना शुरू की थी। इस योजना को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया गया था। जब याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हुई , तब, 1 जनवरी 1998 , तक अद्यतन योजना चालू थी। उपरोक्त योजना में, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है-

"अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार को , कमाने वाले की मृत्यु से अचानक आए संकट से निपटने में सक्षम बनाना है। किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु मात्र उसके परिवार को ऐसी आजीविका का अधिकार नहीं देती है। इसका उद्देश्य अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना केवल तभी है जब बैंक संतुष्ट हो कि परिवार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार संकट का सामना करने में सक्षम नहीं होगा"।

(१०) उपरोक्त प्रावधान, हमारी राय में, **उमेश कुमार नागपाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। उपरोक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि " नियम के रूप में, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति खुले निमंत्रण और योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है। हालांकि एक अपवाद, शुद्ध मानवीय विचारों के तहत, एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में बनाया गया है जो काम करते समय मर जाते हैं और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देते हैं। इसलिए, परिवार को सक्षम बनाने के लिए एक प्रावधान किया गया है। अनुकंपा रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से निपटने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारित पद के बदले कोई पद देना नहीं है। इसके अलावा, कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु मात्र से उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का अधिकार नहीं मिल जाता है। सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती

---

[2] 1994(4) एससीसी 198

है, और केवल जब वह संतुष्ट हो की रोजगार के प्रावधान के बिना परिवार नौकरी के संकट को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, तब परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिये..."। उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकंपा के आधार पर, नियुक्ति देने का उद्देश्य मृत कर्मचारी के स्थान पर मृतक के आश्रित को नियुक्त करना नहीं है। यह केवल तभी प्रदान किया जाता है जब परिवार अत्यंत गरीबी से पीड़ित हो और उसके पास आजीविका का कोई स्रोत न हो। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने एक मौखिक आदेश पारित किया है। उत्तरदाताओं ने एसएलपी (सी) से उत्पन्न संख्या 2644 ऑफ 2003 की सिविल अपील संख्या 126 (2004) में **महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) और अन्य** बनाम **कुंती तिवारी और अन्य** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया है। कुंती तिवारी के मामले में, याचिकाकर्ता का दावा 1 जनवरी 1998 तक अद्यतन योजना के तहत प्रतिवादी-बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया था। उत्तरदाताओं ने परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा और इस निष्कर्ष पर आये कि वह अत्यंत गरीबी में नहीं जी रहे थे और इसलिए, मृतक के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए, उसने सिविल रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उस आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, फैसले को पलटते हुए डिवीजन बेंच ने बैंक को अपनी नीति के अनुसार मृतक के बेटे को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। बैंक की अपील को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार नागपाल के मामले (सुप्रा) में दिये गये फैसले को ध्यान में रखा । सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 1998 को प्रभावी हुई योजना में निहित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट भाषा पर भी ध्यान दिया, प्रावधान इस प्रकार है:-

"सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति पूरी तरह से आवेदनों के आमंत्रण और योग्यता के आधार पर की जाती हैं। हालांकि, काम के दौरान मरने वाले और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अपवाद बनाए गए हैं।"

(११) योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि परिवार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित राशियों को ध्यान में रखना होगा:-

(ए) पारिवारिक पेंशन

(बी) ग्रेच्युटी राशि प्राप्त हुई

(सी) भविष्य निधि में कर्मचारी/नियोक्ता का योगदान

(डी) बैंक या उसके कल्याण कोष द्वारा भुगतान किया गया कोई मुआवजा।

(ई) मृत कर्मचारी की एलआईसी पॉलिसी की आय और अन्य निवेश

(फ़) अन्य स्रोतों से परिवार की आय

(ज) परिवार के अन्य सदस्यों का रोजगार

(च) परिवार का आकार और देनदारियां, यदि कोई हो, आदि।

(१२) 1 जनवरी 1998 की अद्यतन योजना में शामिल इस मानदंड को भारतीय बैंक संघ द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। उत्तरदाताओं ने कुंती तिवारी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया है। यह देखा गया है कि, मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके परिवार की वित्तीय स्थिति, जैसा कि मूल रिकॉर्ड से पता चला:-

"संपत्ति और देनदारियां"।

(i) टर्मिनल लाभ और निवेश:

(ए) भविष्य निधि	-1,90,746.00
(बी) ग्रेच्युटी	-1,09,326.00
(सी) अवकाश नकदीकरण	- 57,519.00
(डी) एनसीएस	- 7,000.00
कुल	=3,64,519.00
कम देनदारियां (सहकारी समितियाँ	- 18,500.00

से ऋण)

शुद्ध अधिशेष	- 3,46,091.00
(ii) मासिक पारिवारिक आय	
(ए) पारिवारिक पेंशन	- 2,858.00
ब्याज आय रुपये का टर्मिनल लाभ	- 2,587.00
कुल	= 5,445.00

(१३) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर आउट-टर्न नियुक्ति के लिए किसी असाधारण कठिनाई का मामला बनाया है।

(१४) हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। बर्खास्त.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा

संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य

एस.एस. निज्जर, जे.